उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 अंक 23 1-15 दिसंबर 2024 ₹ 20/-

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मस्जिदों और दरगाहों के सर्वे पर रोक

- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उर्दू मीडिया के निशाने पर
- काबुल में हुए आत्मघाती हमले में तालिबानी मंत्री की मौत
- सीरिया में बशर अल-असद के शासन का खात्मा
- आईएसआई के पूर्व प्रमुख के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मस्जिदों और दरगाहों के सर्वे पर रोक 04
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उर्दू मीडिया के निशाने पर 07
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बयान पर मचा बवाल 11
असम में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध 13
हाशिमपुरा हत्याकांड के दोषियों को जमानत 14
इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान 15

विश्व

काबुल में हुए आत्मघाती हमले में तालिबानी मंत्री की मौत 17
आईएसआई के पूर्व प्रमुख के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा 18
भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव 19
रूस में 12 इस्लामिक आतंकवादी गिरफ्तार 21
चीन द्वारा पाकिस्तान को 29 अरब डॉलर का कर्ज 22

पश्चिम एशिया

सीरिया में बशर अल-असद के शासन का खात्मा 23
कुवैत में तीन हजार व्यक्तियों की नागरिकता खत्म 28
सऊदी अरब का अमेरिका के साथ रक्षा समझौता करने से इंकार 29
सूडान में सेना और आरएसएफ की झड़पों में 200 लोगों की मौत 29
तुर्किये की मध्यस्थता से इथियोपिया और सोमालिया में समझौता 30
ईरान द्वारा हिजाब के पक्ष में एक नए कानून को मंजूरी 31

सारांश

शताब्दियों पहले इस्लामी आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिदों व दरगाहों का निर्माण कराया था। पिछले कुछ सालों से हिंदू पक्ष ने विभिन्न अदालतों में याचिका दायर करके इन मस्जिदों व दरगाहों के मूल स्वरूप के बारे में सर्वे कराने का अभियान चला रखा था। इसके खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम उपासना स्थलों के मूल स्वरूप के बारे में सर्वे कराने और अदालतों में इससे संबंधित नए मुकदमे दायर करने पर रोक लगा दी है। मुस्लिम संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का समर्थन किया है। उनका दावा है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से मुस्लिम उपासना स्थलों के बारे में अदालतों में याचिका दायर करने पर लगाम लगेगी।

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में कहा कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू यह आशा नहीं करते कि मुसलमान उनकी संस्कृति को अपनाएं, लेकिन उन्हें हिंदू देवी-देवताओं या हिंदुओं की आस्था को निशाना बनाने का अधिकार नहीं है। उर्दू अखबारों और तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के बहाने संघ परिवार और मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान छेड़ दिया है।

विदेशों में बैठी शक्तियां अभी भी भारत में इस्लामिक हुकूमत स्थापित करने का स्वप्न देख रही हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उनके इस खतरनाक मंसूबे को भांपते हुए इस्लामिक आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ जबर्दस्त अभियान छेड़ दिया है। इस संबंध में अब तक दो दर्जन से अधिक इस्लामिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि, इस आतंकवादी संगठन को विदेशों से अवैध तरीके से जो आर्थिक सहायता मिल रही है उसे अभी तक रोका नहीं जा सका है।

बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रही है। बांग्लादेशी इस्लामिक अतिवादी संगठन पाकिस्तानियों के इशारे पर मासूम हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के कई संतों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदू मंदिरों को लूटने के बाद उनमें आग लगा दी गई है। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में हिंदू और भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार इन प्रदर्शनों को खुला समर्थन दे रही है।

सीरिया के तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल-असद को देश छोड़कर भागना पड़ा है। जिस तरह से इराक में सद्दाम हुसैन की सेना ने बिना अमेरिकी सेना का मुकाबला किए अपने हथियार डाल दिए थे उसी की पुनरावृत्ति सीरिया में भी हुई है। सीरियाई सेना की संख्या लगभग डेढ़ लाख थी। जबकि विद्रोहियों की संख्या सिर्फ 30 हजार ही थी। सीरिया में शियाओं और सुन्नियों के बीच मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में सुन्नियों ने जीत हासिल की। बशर अल-असद पिछले 24 सालों से सीरिया की सत्ता पर काबिज थे। उन्हें ईरान और रूस दोनों का खुला समर्थन प्राप्त था। अमेरिका और इजरायल लंबे समय से राष्ट्रपति बशर अल-असद का तख्ता पलटने की तैयारी कर रहे थे। तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन अल-असद सरकार का तख्ता पलटने के लिए इन देशों का समर्थन कर रहे थे।

बशर अल-असद सरकार शुरू से ही सुन्नियों के निशाने पर रही है। 2005 में सुन्नी आतंकवादी संगठन अलकायदा ने उनका तख्ता पलटने का अभियान चलाया था। इस अभियान के लिए सुन्नी नेता अबू मोहम्मद अल-जुलानी को चुना गया। उसने एक विद्रोही संगठन अल-नुसरा फ्रंट का गठन किया। बाद में उसने अलकायदा से अपना संबंध तोड़कर खूंखार सुन्नी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के प्रमुख अबू बकर अल-बगदादी से संबंध स्थापित कर लिया। कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में इन दोनों संगठनों के तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं।

राष्ट्रीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मस्जिदों और दरगाहों के सर्वे पर रोक

इंकलाब (13 दिसंबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने जमीयत उलेमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए देशभर की अदालतों में मस्जिदों और दरगाहों के सर्वे से संबंधित नए मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों हिंदू पक्षों ने अदालत में याचिका दायर करके संभल की शाही जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह और कुछ अन्य मुस्लिम उपासना स्थलों पर दावा किया था। इसके खिलाफ जमीयत उलेमा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके यह मांग की थी कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को स्पष्ट किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ ने देश की विभिन्न अदालतों को यह निर्देश दिया है कि वे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह, संभल की जामा मस्जिद आदि मुस्लिम उपासना स्थलों के सर्वे करवाने या उन पर दावे से संबंधित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय न दिए जाने तक सुनवाई न करें। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में कोई नई याचिका अदालतों में दाखिल न किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार के दृष्टिकोण को जाने बिना इस मुद्दे पर विचार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को मान्यता दी थी। हालांकि, इसके बावजूद निचली अदालतें इस संदर्भ में मुकदमों की सुनवाई कर रही हैं।

रोजनामा सहारा (8 दिसंबर) के अनुसार पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष पीठ का गठन करने की घोषणा की थी। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधक कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय से इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मुकदमों में

हस्तक्षेप करने की मांग की थी। बता दें कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय आदि ने अदालत में याचिका दाखिल करके पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। जमीयत उलेमा ने अपनी याचिका में कहा था कि अगर अदालतों को इस कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार करने की अनुमति दी गई तो देशभर की मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले मार्च 2021 में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि इस संदर्भ में विभिन्न अदालतों में जो याचिकाएं दायर की गई हैं उन पर एक साथ विचार किया जाए। इस मामले में अंतिम आदेश 30 नवंबर 2023 को रजिस्ट्रार अदालत द्वारा जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि केंद्र ने अभी तक जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है। अदालत में दायर याचिकाओं में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी और यह तर्क दिया गया था कि ये धाराएं संविधान की भावना और सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुझाव दिया कि एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए, जिस पर इस संबंध में आए सभी जवाबों को आसानी से देखा जा सके। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस संबंध में गुगल ड्राइव लिंक जैसा कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत ने सभी पक्षों को अपना जवाब अदालत में पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने कहा कि जब तक यह मुकदमा विचाराधीन है तब तक देश की कोई भी अदालत इस संबंध में नए मुकदमों की सुनवाई नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त जब तक सर्वोच्च न्यायालय पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के संबंध में कोई फैसला नहीं दे देता तब तक निचली अदालतें भोजशाला, ज्ञानवापी और संभल की जामा मस्जिद मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगी।

एक वकील ने अदालत में बताया कि इस समय देश की विभिन्न अदालतों में उपासना स्थलों से संबंधित 18 मामले लंबित हैं। इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। निचली अदालतों में जिन मुस्लिम उपासना स्थलों के खिलाफ मामले लंबित हैं उनमें जामा मस्जिद (मंगलुरु), जामा मस्जिद शम्सी (बदायूं), ज्ञानवापी मस्जिद (वाराणसी), श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह (मथुरा), टीले वाली मस्जिद (लखनऊ), भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद (धार), कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद (दिल्ली), जामा मस्जिद (संभल), दरगाह अजमेर शरीफ और अटाला मस्जिद (जौनपुर) शामिल हैं। इनके मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से प्रभावित हो सकते हैं।

इंकलाब (13 दिसंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है। बोर्ड ने हैरानी प्रकट की है कि पूजा स्थल अधिनियम के मौजूद होने के बावजूद निचली अदालतें दरगाहों और मस्जिदों के सर्वे की याचिका

पर सुनवाई कर रही हैं। इसके कारण यह पूरा कानून ही अर्थहीन हो गया है। बोर्ड ने दावा किया कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से देशभर में शरारती तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगेगी। वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत के इस फैसले से उन तत्वों को गहरा धक्का लगा है जो देश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

रोजनामा सहारा (15 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि मुसलमानों पर बढ़ते हुए हमलों और उनके धार्मिक स्थलों पर दावे की घटनाओं ने देश की सामाजिक और कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। यह न केवल देश के मुसलमानों, बल्कि देश के लोकतांत्रिक और सेक्युलर ढांचे के लिए भी एक खतरनाक चुनौती है। इससे सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। भारतीय संसद ने पूजा स्थलों के संरक्षण के लिए जो कानून बनाया था वह आज स्वयं खतरे में नजर आ रहा है। इस कानून के खिलाफ दायर की जाने वाली याचिकाओं और विभिन्न अदालतों द्वारा मस्जिदों के नीचे तथाकथित मंदिरों की खोज हेतु सर्वे के निर्देशों से देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। मस्जिदों के नीचे मंदिरों की खोज करने से मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं।

हिंदुस्तान (14 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इससे देश में सांप्रदायिक सद्भावना और शांति का वातावरण बनेगा। अदालत के इस निर्देश से यह साबित होता है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की संवेदनशीलता से पूरी तरह से अवगत है।

एतेमाद (15 दिसंबर) में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी का लाभ उठाया और उन्होंने पूजा स्थल अधिनियम को अदालतों में चुनौती देने का सिलसिला शुरू कर दिया। इससे देश की शांति व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो गया। उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की याचिका को वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया था। जब इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो उसने भी जिला न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा। मुस्लिम पक्ष ने उसी दिन उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अदालत से यह मांग की थी कि इस सर्वे पर फौरन प्रतिबंध लगाया जाए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने सर्वे के फैसले को हरी झंडी दिखा दी। इस फैसले से निचली अदालतों को मनमानी करने की खुली छूट मिल गई। इसके बाद देशभर की विभिन्न अदालतें मस्जिदों, मजारों और दरगाहों के सर्वे से संबंधित फैसले सुनाने लगीं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न अदालतों में लंबित सर्वे से संबंधित याचिकाओं पर रोक लगाकर सांप्रदायिकता के इस तूफान को फिलहाल के लिए रोक दिया है। सबसे स्वागत योग्य बात यह है कि अदालत ने

वाराणसी और मथुरा की मस्जिदों के सर्वे पर भी रोक लगा दी है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अदालत ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की पीठ के फैसले को पलट दिया है।

मुंसिफ (14 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि केंद्र सरकार इस संवेदनशील मामले पर जो राजनीति कर रही है वह देश के लिए बेहद खतरनाक है। इससे देश की न सिर्फ हिंदू-मुस्लिम एकता छिन्न-भिन्न हो जाएगी, बल्कि पूरे देश में गृहयुद्ध भी छिड़ सकता है। जिस तरह से हिंदूत्ववादी तत्व देशभर की मस्जिदों और दरगाहों पर अपने मनगढ़ंत दावे कर रहे हैं और अदालतें बिना विपक्षी तर्क सुने सर्वे का आदेश जारी कर रही हैं उससे इस देश में गृहयुद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय पूजा स्थलों के संरक्षण से संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश दे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उर्दू मीडिया के निशाने पर

हमारा समाज (4 दिसंबर) ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कम-से-कम तीन बच्चे पैदा करने का फरमान जारी किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि अगर कोई सरकार 500 पदों के लिए भर्ती की घोषणा करती है तो वहां पर पांच लाख लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। निजी क्षेत्र का हाल तो इससे भी बुरा है। वे वेतन कम देते हैं और शोषण ज्यादा करते हैं। महंगाई सुरसा की मुंह की तरह बढ़ रही है। सरकार खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी लगाकर महंगाई में और भी वृद्धि कर रही है। इसके बावजूद मोहन भागवत का नया फरमान आश्चर्यजनक है। हालांकि, मुसलमान इन विवादों में उलझना नहीं चाहते और वे अपने काम से काम रखते हैं। मोहन भागवत जैसे लोग झूठ फैलाने में माहिर हैं। उनकी बातों पर विश्वास न किया जाए तो बेहतर है। अगर कोई मुसलमान पांच बच्चे पैदा करता है तो वह फौरन निशाने पर आ जाता है। इससे संघ परिवार को मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार करने का मौका मिल जाता है कि मुसलमान देश की जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं। क्या हिंदुओं को यह डर सता रहा है कि दिल्ली के तख्त पर एक बार फिर से मुसलमानों का राज शुरू हो जाएगा? हालांकि, हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मुसलमान तो वैसे ही बदनाम हैं। मुसलमान यह विश्वास करता है कि जो इस दुनिया में आता है वह अल्लाह की मर्जी से आता है और अपने साथ रोजी-रोटी लेकर आता है।

रोजनामा सहारा (6 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हाल ही में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों को कम-से-कम तीन बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। हालांकि, संघ परिवार पिछली एक शताब्दी से देश में बढ़ती आबादी के खतरों के बारे में ढोल पीटता रहा है। हकीकत यह है कि जो लोग बढ़ती हुई आबादी के खतरे का प्रचार करते हैं उनका लक्ष्य मुसलमानों को निशाना बनाना होता है। वे मुसलमानों को देश के विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

एसवाई कुरैशी ने अपनी पुस्तक में मुस्लिम आबादी में वृद्धि के दुष्प्रचार का पर्दाफाश किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का खंडन किया है कि मुसलमान हिंदुओं के मुकाबले में ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। स्वयं मोदी सरकार ने एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि ज्यादातर मुसलमान अशिक्षित हैं, इसलिए वे परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं देते हैं। यही बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू होती है।

उदाहरण के तौर पर जिन राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है उनमें आबादी की वृद्धि का अनुपात दक्षिण भारत के राज्यों से ज्यादा है। अब दक्षिण भारत के राज्य भी यह महसूस कर रहे हैं कि अगर उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में उनकी आबादी कम रही तो राजनीति में उनका वर्चस्व कम हो जाएगा। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। दक्षिण भारत के राज्यों की आबादी कम है, इसलिए उन्हें केंद्रीय बजट में उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में कम धनराशि मिलती है। आबादी के आधार पर ही विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। समाचारपत्र ने कहा है कि यह मानना गलत है कि आबादी की दर घटने से आने वाले समय में देश में जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसका जवाब यह है कि 2060 तक भारत की आबादी में कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है। अलबत्ता इस शताब्दी के अंत तक अगर जन्म दर में वृद्धि नहीं हुई तो इस देश में युवा शक्ति की कमी हो जाएगी और इसका देश के विकास पर बुरा असर पड़ेगा। लेखक का कहना है कि मोहन भागवत जानबूझकर देश में घबराहट फैला रहे हैं।

अवधनामा (2 दिसंबर) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने जन्म दर में गिरावट पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि जिन देशों में जन्म दर तेजी से घटी वे खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या के संतुलन को बरकरार रखने के लिए दो से अधिक बच्चे पैदा करने की जरूरत है। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि वैज्ञानिकों के अनुसार अगर किसी समाज की जन्म दर 2.1 से नीचे चली जाए तो उसका दुनिया से नामोनिशान मिट जाता है। ऐसे में यह जरूरी है कि अब हम दो से अधिक बच्चे पैदा करें। अगर तीन हों तो ज्यादा बेहतर है। यह हमारे वजूद को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। मोहन भागवत ने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या नीति 1998 या 2002 में तय की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अब लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर वे तीन बच्चे पैदा करते हैं तो बेहतर है।

विपक्ष ने मोहन भागवत के इस बयान की आलोचना की है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोहन भागवत कहते हैं कि आबादी बढ़नी चाहिए। क्या वे आबादी बढ़ाने वाले वर्ग को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करेंगे? क्या वे दो से अधिक बच्चे वाले परिवारों को हर महीने विशेष आर्थिक सहायता

देंगे? ओवैसी ने कहा कि भागवत को पहले अपने समुदाय में ही इसका उदाहरण पेश करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि मोहन भागवत जब भी कुछ बोलते हैं तो उससे भाजपा को परेशान हो जाती है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर की तलाश बंद कर देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से भाजपा को परेशानी होगी, जो मंदिर-मस्जिद की राजनीति करके और हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजकर सत्ता में बने रहना चाहती है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने भी मोहन भागवत के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि दिन-प्रतिदिन घट रही है, लेकिन मोहन भागवत कल्पना लोक में विचरण करते हुए अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने पर जोर दे रहे हैं। दूसरी ओर, चीन ने अपनी बढ़ती हुई आबादी पर लगाम लगाई और आज वह सुपर पावर बन चुका है। क्या मोहन भागवत चीन से सीखने में विश्वास नहीं रखते?

उर्दू टाइम्स (7 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मोहन भागवत इससे पहले यह राग अलापते रहे हैं कि देश में मुसलमानों की जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के बीच मुसलमानों की आबादी 0.8 प्रतिशत बढ़ी थी। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के डॉ. जेके बजाज ने दावा किया है कि मुसलमानों की जन्म दर में वृद्धि हो रही है, जिससे समाज में असंतुलन पैदा हो सकता है। हालांकि, उनका यह दावा सरासर गलत है। डॉ. बजाज के अध्ययन के अनुसार भारत में मुसलमानों की आबादी में वृद्धि के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वे अन्य धर्म के अनुयायियों की तुलना में कम हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। 2005 में इस संस्थान ने भारत की धार्मिक आबादी के बारे में एक

रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि देश में मुसलमानों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और इससे भविष्य में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ सकता है। यह भी दावा किया गया कि मुसलमान अगले 50-60 सालों में भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुओं की तुलना में बहुसंख्यक बन जाएंगे। यही कारण है कि आरएसएस को परेशानी हो रही है, क्योंकि उसकी नीति फूट डालो और राज करो की है।

उर्दू टाइम्स (16 दिसंबर) ने आरोप लगाया है कि आरएसएस देश में हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने के लिए जांच एजेंसियों, कानून को लागू करने वाले संस्थानों, सिविल सेवा और न्यायपालिका में संघ परिवार के विचारधारा से संबंधित लोगों को सुनियोजित तरीके से भरने की योजना बना रहा है। अगर ये सारे संस्थान एक विशेष विचारधारा और योजना के तहत काम करने लग जाएंगे तो भले ही संविधान का वर्तमान स्वरूप बना रहे, लेकिन कार्यात्मक रूप में संविधान की वर्तमान स्थिति खत्म हो जाएगी और वह पंगु बनकर रह जाएगा। आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई दशक से प्रयास कर रहे हैं।

मुंसिफ (13 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन योजनाबद्ध तरीके से न्यायपालिक और प्रशासन तंत्र में अपनी विचारधारा से संबंधित

लोगों को भर रहे हैं ताकि वे देश के प्रशासन को अपनी इच्छानुसार चला सकें। अब देश का प्रशासन और न्यायपालिका खुलकर हिंदू देवी-देवताओं और गाय के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण कर रहा है। कई न्यायाधीशों ने अपने फैसलों में लव जिहाद जैसे षड्यंत्र सिद्धांत का खुलकर समर्थन किया है। ऐसे में यह जरूरी है कि संविधान विरोधी और एक विशेष विचारधारा के पोषक व्यक्तियों को उनके संवैधानिक पदों से बर्खास्त कर दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बहाल नहीं हो सकती।

हिंदुस्तान (15 दिसंबर) ने एक लेख में यह आरोप लगाया है कि संघ परिवार ने देश के सर्वोच्च शासकीय ढांचे में घुसपैठ करने के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे उच्च श्रेणी के नौकरियों में आरएसएस के समर्थकों को सीधा भर्ती करना शुरू कर दिया गया है। आरएसएस का यह लक्ष्य है कि देश का प्रशासन पूरी तरह से उसके चंगुल में हो।

एतेमाद (1 दिसंबर) ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना में सत्ता पर काबिज होने के लिए आरएसएस ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि हरियाणा में भाजपा विरोधी लहर के बावजूद आरएसएस सत्ता में आने में सफल हुई है। वही फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी अपनाया गया और भाजपा को अप्रत्याशित सफलता मिली। संघ हाईकमान को यह विश्वास है कि 2028 के विधानसभा चुनाव में वे तेलंगाना की सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। हाल ही में इस संबंध में तेलंगाना के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। तेलंगाना में आरएसएस के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। हाल ही में इस संबंध में लोकमंथन नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भाग लिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को काफी लाभ हुआ था। बीआरएस और कांग्रेस के द्वंद्व युद्ध में भाजपा ने आठ सीटें जीत ली थी। उसे 14 प्रतिशत वोट मिले थे। संघ के प्रयास से राज्य में सांप्रदायिक नफरत का प्रचार किया जा रहा है ताकि हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो सके। भाजपा का मानना है कि राज्य के मुस्लिम वोट कांग्रेस और बीआरएस में बंट जाएंगे। अगर हिंदू वोटों का धुव्रीकरण उसके पक्ष में हो जाता है तो उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। संघ परिवार वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए देश के आदिवासी क्षेत्रों में वोटों के ध्रुवीकरण का अभियान चला रहा है। इसके लिए संघ के स्वयंसेवकों की छोटी-छोटी टोलियां बनाई गई हैं, जो हर मोहल्ले में जाकर हिंदुओं से संपर्क स्थापित करेंगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बयान पर मचा बवाल

हमारा समाज (10 दिसंबर) के अनुसार विश्व हिंदू परिषद द्वारा समान नागरिक संहिता पर आयोजित एक गोष्ठी में भाग लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने कहा कि मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां पर रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से ही चलेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू यह आशा नहीं करते कि मुसलमान उनकी संस्कृति का अनुसरण करें, लेकिन वे यह जरूर चाहते हैं कि वे हिंदू संस्कृति का अपमान न करें। न्यायमूर्ति यादव ने कहा कि हम अपने बच्चों को जन्म से ही पशुओं के प्रति दया भाव सिखाते हैं। हम उनके दुखों से दुखी होते हैं। जब आप अपने बच्चों के सामने पाले हुए पशुओं का वध करते हैं तो उन बच्चों से दया भाव की आशा कैसे की जा सकती है? हिंदू होने के नाते हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। हम यह भी नहीं चाहते कि दूसरे धर्मों के लोग हमारा अनुसरण करें। आप विवाह करते समय अग्नि के सात फेरे न लगाएं, गंगा में डुबकी न लगाएं, लेकिन कम-से-कम हमारे देवी-देवताओं का तो अपमान न करें। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के सम्मान में विश्वास रखते हैं। हमारे ग्रंथों में महिलाओं को देवी माना गया है। आप चार पत्नियां रखने, हलाला करने या तीन तलाक देने का अधिकार नहीं ले सकते। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अधिकार नहीं है कि आप शरिया की आड़ में महिलाओं को गुजारा भत्ता देने से इंकार कर दें।

न्यायमूर्ति शेखर यादव के इस बयान पर मुस्लिम नेताओं और उर्दू मीडिया ने सुनियोजित अभियान छेड़ दिया है। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि न्यायमूर्ति यादव ने जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण दिया है, जो देश के न्यायतंत्र की निष्पक्षता की भावना के सरासर खिलाफ है। विपक्ष की ओर से न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। इस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके के 50 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। नेशनल कांफ्रेंस के सांसद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि वे शेखर कुमार यादव को उनके पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर, प्रशांत भूषण और

कपिल सिब्बल सहित अनेक वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि न्यायमूर्ति यादव ने मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी करके न्यायपालिका की नैतिकता, निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का उल्लंघन किया है। इसके कारण पूरी न्यायपालिका की बदनामी हुई है और 'कानून का शासन' की परिकल्पना को नुकसान पहुंचा है। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी शेखर यादव के भाषण की निंदा की है और कहा है कि उनका यह बयान न केवल धर्मनिरपेक्षता, बल्कि भारतीय संविधान के भी खिलाफ है। इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि अगर इस मानसिकता के लोग अदालत की कुर्सी पर विराजमान होंगे तो उनसे निष्पक्षता और न्याय की आशा कैसे की जा सकती है?

रोजनामा सहारा (11 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि न्यायमूर्ति यादव ने इस तरह का बयान देकर एक न्यायाधीश के पद को कलंकित किया है। उन्होंने यह संकेत दिया है कि उनके फैसले बहुसंख्यक समाज के हित को पोषित करने वाले होंगे। उनके इस बयान से यह भी साफ हो गया है कि अब देश की न्यायपालिका राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव से मुक्त नहीं है। समाचारपत्र ने हैरानी प्रकट की है कि अब न्यायाधीश भी विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के कार्यक्रमों में खुलकर हिस्सा ले रहे हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि न्यायपालिका में देश के नागरिकों की आस्था को बहाल करने के लिए यह जरूरी है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

इंकलाब (12 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में न्यायमूर्ति शेखर यादव के बयान की आलोचना की है। समाचारपत्र ने न्यायमूर्ति यादव के विश्व हिंदू परिषद के समारोह में भाग लेने पर हैरानी प्रकट की है। विश्व हिंदू परिषद क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है। हम यह भी नहीं मानते कि न्यायमूर्ति शेखर को विश्व हिंदू परिषद की हकीकत की कोई जानकारी नहीं थी। अजीब बात है कि अभी तक उन्होंने अपने इस भाषण का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। समाचारपत्र ने संतोष व्यक्त किया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति शेखर से जवाब तलब किया है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (11 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि अगर यह देश बहुसंख्यकों के इशारे पर चलेगा तो यह समझा जा सकता है कि आज देश का संविधान चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ है और देश हिंदू राष्ट्र की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश का भाषण बेहद घटिया और आपत्तिजनक है। इससे यह जाहिर हो गया है कि अब न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले लोग भी बेशर्म हो चुके हैं और उन्हें भारतीय संविधान व कानून को अपने पैरों तले रौंदने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। समाचारपत्र ने कहा है कि ऐसे लोगों को न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। दुख की बात है कि

न्यायमूर्ति यादव ने मुसलमानों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया है। इससे उनकी मानसिकता की पोल खुल जाती है।

हिंदुस्तान (12 दिसंबर) ने एक लेख में कहा है कि आज मुसलमानों का वजूद खतरे में है। राजनीति में तो उनके खिलाफ लंबे समय से अभियान चल रहा था, लेकिन अब न्यायपालिका में भी मुस्लिम विरोधी अभियान का भांडा चौराहे पर फूट गया है। देश में बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग की घटनाएं, विश्वविद्यालयों में मुस्लिम छात्रों पर हिंसा, मुस्लिम महिलाओं को परेशान करना और मस्जिदों के अपमान की घटनाओं से मुसलमानों के हालात की सच्चाई उजागर होती है। मुसलमानों को एकजुट होकर ऐसी प्रवृत्तियों का सामना करना चाहिए।

हिंदुस्तान (10 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि संघ परिवार देश में सांप्रदायिकता का जो जहर फैला रहा है वह अब न्यायपालिका तक भी पहुंच गया है। शर्म की बात है कि अब न्यायाधीश भी वही भाषा बोलने लगे हैं, जो अब तक संघ और भाजपा के कार्यकर्ता बोलते रहे हैं।

असम में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध

रोजनामा सहारा (5 दिसंबर) के अनुसार असम में गोमांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के होटलों, रेस्टोरेंटों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस को बेचने और खाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी व्यक्ति को होटलों या सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में गोमांस पर लगाए गए प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि हम असम में गोहत्या रोकने के लिए तीन साल पहले कानून लाए थे और इस कानून के कारण हमें गोवध रोकने में काफी सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने सबसे पहले मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में बीफ बेचने पर प्रतिबंध लगाया था। अब इस प्रतिबंध में विस्तार कर दिया गया है।

गौरतलब है कि असम सरकार ने बीफ पर प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया है जब राज्य में गोमांस चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में राज्य में हुए विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने यह आरोप लगाया था कि भाजपा ने मतदाताओं को बीफ पार्टी देकर जीत हासिल की है। उनके इस आरोप को मुख्यमंत्री ने निराधार बताया था और कहा था कि अगर कांग्रेस लिख कर दे दे तो मैं राज्य में बीफ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं।

हमारा समाज (9 दिसंबर) ने असम सरकार के इस फैसले को तानाशाही करार दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने मनपसंद भोजन करने, धर्म अपनाने और मनचाहा लिबास पहनने की आजादी है। समाचारपत्र ने कहा है कि मुसलमान तो वैसे ही बदनाम हैं। जबकि अन्य धर्मों के अनुयायी

सबसे ज्यादा मांस खाते हैं। देश के अनेक मंदिरों में पशु बलि दी जाती है।

इंकलाब (6 दिसंबर) के अनुसार केरल भाजपा के उपाध्यक्ष मेजर रवि ने कहा है कि हमें कोई गलत संदेश नहीं देना चाहिए, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़े। उन्होंने कहा कि गोमांस और बीफ में अंतर है। हर किसी को अपने मनपसंद भोजन करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसे सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने असम सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह संविधान के खिलाफ है। ऐसे लोग इस देश में तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं।

हाशिमपुरा हत्याकांड के दोषियों को जमानत

इंकलाब (7 दिसंबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा हत्याकांड के दोषी उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) के 10 कर्मचारियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इन पर 1987 में 38 मुसलमानों की हत्या करने का आरोप है। कहा जाता है कि पीएसी के कर्मचारियों ने इन मुसलमानों की गोली मारकर हत्या करके उनकी लाशों को हिंडन नदी में बहा दिया था। पीएसी कर्मचारियों के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह की पीठ के समक्ष यह तर्क दिया कि ये लोग 2018 से जेल में बंद हैं, इसलिए इन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। वकील ने यह भी दावा किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन दोषियों को बरी किए जाने के फैसले को गलत ढंग से खारिज कर दिया था। जिन दस दोषियों की जमानत याचिका अदालत में दायर की गई थी उनमें निरंजन लाल, महेश प्रसाद, जयपाल सिंह, सुरेश चंद शर्मा, राम ध्यान, हम्बीर सिंह, कुंवरपाल सिंह, बुद्ध सिंह, मोहकम सिंह और एक मुसलमान समी उल्लाह शामिल हैं।

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाशिमपुरा हत्याकांड के आरोपियों के मुकदमे को गाजियाबाद की अदालत से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने 2015 में सबूत न होने का तर्क देते हुए इस हत्याकांड के 16 आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने यह तर्क दिया था कि इस हत्याकांड में जीवित बचे लोग पीएसी के इन कर्मचारियों को पहचानने में विफल रहे हैं। तीस हजारी अदालत के इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 31 अक्टूबर 2018 को न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था। अदालत ने इन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा था

कि पुलिस ने निहत्थे लोगों की लक्षित हत्या की है।

बता दें कि मई 1987 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में सांप्रदायिक दंगों के दौरान पीएसी को तैनात किया गया था। पीएसी के कर्मचारियों ने मेरठ के हाशिमपुरा इलाके से 42 मुसलमानों को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उन्हें थाने ले जाने के बजाय एक नहर के किनारे ले गए। इसके बाद पीएसी के कर्मचारियों ने इन सभी मुसलमानों की गोली मारकर हत्या कर दी और इनकी लाशों को नहर में फेंक दिया। मारे गए अधिकतर लोग मजदूर और बुनकर थे। इनमें से चार लोगों ने मृत होने का नाटक किया और बाद में वहां से भागने में सफल रहे। इस घटना पर हंगामा होने के बाद अदालत के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जमानत मिलने के बाद पीएसी के कर्मचारी कानून के फंदे से बाहर रहे। जब आरोपियों की ओर से यह आरोप लगाया गया कि गाजियाबाद की अदालत इस मामले को निपटाने के बजाय इसे लंबा खींच रही है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस मुकदमे को गाजियाबाद से दिल्ली की तीस हजारी अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। तीस हजारी अदालत ने सभी 16 आरोपियों को बरी कर दिया। बाद में अदालत के इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अदालत ने तीस हजारी अदालत के फैसले को पलट दिया और इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके बाद इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। ■

इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान

इंकलाब (13 दिसंबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में एक साथ कई स्थानों पर छापे मारे हैं। इन छापों का उद्देश्य जैश-ए-मोहम्मद के देशव्यापी जाल को तोड़ना है। एनआईए के अनुसार विदेशी सहायता से जैश-ए-मोहम्मद का जाल देश में बड़ी तेजी से फैल रहा है। इस संबंध में जम्मू-कश्मीर, झांसी, देवबंद और दिल्ली से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हाल ही में एनआईए और उत्तर प्रदेश एटीएस की संयुक्त टीम ने झांसी में एक मुफ्ती खालिद नदवी के घर पर छापा मारा था। कई घंटे तक उसके घर की तलाशी ली गई। जब एनआईए के अधिकारी इस मुफ्ती को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाने लगे तो मोहल्ले की मस्जिद के लाउडस्पीकर से यह घोषणा की गई कि कुछ लोग मुफ्ती नदवी का अपहरण कर रहे हैं। इसके बाद इस क्षेत्र के

सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं ने नदवी के मकान को घेर लिया और पुलिस के चंगुल से उसे छुड़ा लिया। पुलिस ने 122 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। अभी तक चार लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। नदवी से कई घंटे तक पूछताछ की गई। उससे यह भी पूछा गया कि पाकिस्तान में रहने वाले जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख नेता मोहम्मद इलियास घुमन से उसके क्या संबंध हैं? नदवी ने बताया कि वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दीनी शिक्षा देता है और उसके छात्र देश-विदेश में फैले हुए हैं। नदवी से विदेशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता के बारे में भी व्यापक रूप से पूछताछ की गई।

इसके अतिरिक्त एनआईए ने देवबंद से भी दो रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लिया है। इनका संबंध बांग्लादेश में स्थित इस्लामिक आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन से बताया जाता है। बिहार के सीतामढ़ी से अब्दुल हलीम अंसारी को हिरासत में लिया गया है। इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर के बडगाम और रियासी से भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जानकार सूत्रों का दावा है कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा से भी जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखने के आरोप में कुछ लोगों के गिरफ्तार किया गया है। एनआईए के एक उच्चाधिकारी ने बताया कि जांच का सिलसिला जारी है, इसलिए अभी इस गिरोह के बारे में कोई ठोस जानकारी देना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं उनसे अभी पूछताछ चल रही है। इसके अतिरिक्त दिल्ली से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।

औरंगाबाद टाइम्स (13 दिसंबर) के अनुसार एनआईए ने अमरावती, भिवंडी और औरंगाबाद में चार स्थानों पर छापे मारे हैं। एनआईए ने इन तीनों जिलों से एक-एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्तियों का संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से बताया जाता है। अक्टूबर 2024 में एनआईए ने जैश-ए-मोहम्मद साजिश केस में देशभर में जैश-ए-मोहम्मद के गिरोह का पता लगाने के लिए 56 स्थानों पर छापे मारे थे और इस गिरोह के प्रमुख शेख सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को गिरफ्तार किया था। उससे मिली जानकारी के आधार पर इस गिरोह का पता लगाने का अभियान चल रहा है।

काबुल में हुए आत्मघाती हमले में तालिबानी मंत्री की मौत

इंकलाब (12 दिसंबर) के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक आत्मघाती धमाके में तालिबान सरकार के शरणार्थी मामलों के मंत्री खलील-उर-रहमान हक्कानी मारे गए हैं। उनके साथ एक दर्जन से अधिक प्रमुख तालिबान नेता भी मारे गए हैं। खलील-उर-रहमान हक्कानी हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी के भाई और तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के चाचा थे। हक्कानी नेटवर्क ने अफगान युद्ध में अमेरिकी सैनिकों पर अनेक बार घातक हमले किए थे, जिनमें काफी अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने इस हमले की निंदा की है। खलील-उर-रहमान हक्कानी के भतीजे अनस हक्कानी ने अपने चाचा के मारे जाने की पुष्टि की है।

कौमी तंजीम (13 दिसंबर) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार ने इस हमले को एक घातक हमला करार दिया है। पेशावर में तालिबान मामलों के विशेषज्ञ मुश्ताक यूसुफजई ने कहा है कि खलील-उर-रहमान हक्कानी को उनके कार्यालय में ही मार देना अफगानिस्तान सरकार की सुरक्षा प्रबंधों की बहुत बड़ी चूक है। हमला करने वालों ने यह साफ संकेत दे दिया है कि उनके हमले से कोई नहीं बच सकता और अफगानिस्तान एक सुरक्षित देश नहीं है। इससे पहले भी खलील-उर-रहमान हक्कानी पर कई बार जानलेवा हमले हुए थे, लेकिन वे बाल-बाल बच गए थे। यूसुफजई ने कहा कि इस हमले के पीछे तालिबान सरकार के किसी अंदरूनी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में यह तीसरा सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में काबुल में अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय परिसर में स्थित एक मस्जिद में हुए धमाके में कई नमाजी मारे गए थे। इसके बाद मार्च 2023 में बल्ख प्रांत के गवर्नर मोहम्मद दाऊद मुजम्मिल की इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने हत्या कर दी थी। तालिबान सरकार के सूत्रों के अनुसार इससे पहले भी सिराजुद्दीन हक्कानी के चार भाईयों की हत्या आईएसआईएस द्वारा की जा चुकी है। सितंबर 2011 में आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की भी हत्या कर दी थी।

आईएसआई के पूर्व प्रमुख के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा

हमारा समाज (11 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई है। उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी गई है। पाकिस्तानी सेना के लोक संपर्क विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 12 अगस्त 2024 को जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया था। उन पर गोपनीय कानून का उल्लंघन करके पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरे में डालना, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना और अपने अधिकारों व सरकारी संसाधनों का दुरूपयोग करने का आरोप है। फैज हमीद पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को अस्थिर करने की साजिश की और इसके लिए उन्होंने अनेक देशद्रोही गतिविधियों का संचालन किया। इनमें 9 मई 2023 को पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर सशस्त्र हमले करवाने का आरोप भी शामिल है।

गौरतलब है कि इसी आरोप के आधार पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ भी अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार जनरल फैज हमीद ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मिलकर शहबाज शरीफ सरकार का तख्ता पलटने की साजिश रची थी। उन्होंने अपने समर्थकों के जरिए सैन्य मुख्यालय और अन्य ठिकानों पर हमले करवाए थे। कहा जाता है कि फैज हमीद ने यह साजिश इमरान खान के निर्देश पर रची थी। गौरतलब है कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार आईएसआई के किसी प्रमुख के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। जिन धाराओं के तहत यह मुकदमा चलाया जा रहा है उनमें फैज हमीद को उम्रकैद और मौत की सजा भी हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि नवंबर 2023 में पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय ने एक बिल्डर मोइज अहमद खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था कि जनरल फैज हमीद पर जो आरोप लगाए गए हैं वे बेहद गंभीर हैं। इसके कारण पाकिस्तान सरकार, सेना, आईएसआई और रेंजर्स की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेना को यह निर्देश दिया था कि वह आरोपी के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाए। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मोइज अहमद खान ने आरोप लगाया था कि जनरल फैज हमीद ने उनसे रिश्वत के रूप में मोटी धनराशि मांगी थी। जब उन्होंने रिश्वत देने से इंकार कर दिया तो 12 मई 2017 को फैज हमीद ने सैकड़ों सैनिकों के साथ आधी रात को उनके कार्यालय और घर पर छापा मारा। वे उनके घर से करोड़ों रुपये के हीरे-जवाहरात लूट कर ले गए। इसके बाद उन्हें आतंकवाद के झूठे आरोप में फंसा दिया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि बाद में उन्हें चार करोड़ रुपये नकद देने पर मजबूर किया गया था। उन पर यह

भी दबाव डाला गया था कि वे एक निजी टेलीविजन चैनल के छह महीने का पूरा खर्च अदा करें। उनके साथ यह सौदेबाजी फैज हमीद के भाई सरदार नजफ और आईएसआई के दो ब्रिगेडियरों ने की थी।

अप्रैल 2024 में पाकिस्तानी सेना ने एक मेजर जनरल की अध्यक्षता में एक विशेष जांच कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने प्रारंभिक तौर पर फैज हमीद के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की थी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया था। खास बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद फैज हमीद को किसी जेल में बंद नहीं किया गया, बल्कि उन्हें रावलपिंडी में सेना के अधिकारियों के मेस के अतिथि कक्ष में नजरबंद रखा गया। हालांकि, उन पर सेना का कड़ा पहरा लगा दिया गया था।

भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव

एतेमाद (5 दिसंबर) के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तनाव की शुरुआत बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में राजनीतिक शरण देने से हुई थी। हाल ही में ढ़ाका में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के संबंधों में और भी तल्खी आई है। दोनों देशों में एक दूसरे के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। हाल ही में अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय के बाहर हुए उग्र प्रदर्शन के बाद स्थिति और भी बिगड़ गई है। इस प्रदर्शन का आयोजन हिंदूवादी संगठनों ने किया था। इस प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को भी जला दिया गया था। इस घटना के जवाब में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों छात्रों ने भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया।

उर्दू टाइम्स (2 दिसंबर) के अनुसार देशद्रोह के आरोप में इस्कॉन के तीन अन्य पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले इस्कॉन के एक संत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें रिहा करने से इंकार कर दिया है।

रोजनामा सहारा (11 दिसंबर) के अनुसार उग्र प्रदर्शनकारियों ने इस्कॉन के ढाका और

चटगांव स्थित मंदिरों को पहले लूटा और मूर्तियों को तोड़ने के बाद उनमें आग लगा दी। बांग्लादेशी छात्र इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।

सियासत (4 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में दोनों देशों के बीच बिगड़ते हुए संबंधों पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित हमलों के कारण भारत में काफी जनाक्रोश है। समाचारपत्र ने कहा है कि दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने कोलकाता स्थित अपने उप उच्चायुक्त और अगरतला स्थित सहायक उच्चायुक्त को ढाका बुला लिया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (10 दिसंबर) के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि वह स्थिति को सामान्य बनाने के लिए तुरंत कार्रवाई करे और कोई ऐसा कदम न उठाए, जिससे दोनों देशों के संबंधों में और तनाव पैदा हो।

अखबार-ए-मशरिक (4 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों में बढ़ती असुरक्षा की भावना पर चिंता प्रकट की है और प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। वे संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध करें कि वह बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के लिए फौरन शांति सेना भेजे। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव दिया है कि जो लोग असुरक्षा के कारण बांग्लादेश से भागकर भारत आ रहे हैं उन्हें भारत में शरण दी जाए।

कौमी तंजीम (10 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि जो संगठन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें अपने देश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ भी इसी तरह से आवाज उठानी चाहिए। समाचारपत्र ने कहा है कि अगर भारतीय मुसलमान किसी सरकारी नीति का विरोध करते हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। यह निंदनीय है। समाचारपत्र ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न का बदला भारतीय मुसलमानों से नहीं लिया जाना चाहिए।

एतेमाद (3 दिसंबर) के अनुसार पश्चिम बंगाल के हजारों संतों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और इस्कॉन मंदिरों में आग लगाने जाने के

खिलाफ बांग्लादेश की सीमा पर विरोध प्रदर्शन किया है। इसका आयोजन अखिल भारतीय संत समिति की ओर से किया गया था। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने किया। इस्कॉन ने कोलकाता स्थित अपने केंद्र पर बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ हो रही कार्रवाईयों के विरोध में कीर्तन का आयोजन किया है। उन्होंने बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए इस्कॉन के संतों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। इस्कॉन का आरोप है कि 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या 22 प्रतिशत थी, जो अब घटकर आठ प्रतिशत से भी कम रह गई है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश के 50 से अधिक जिलों में हिंदुओं पर 200 से अधिक हमले हो चुके हैं और अभी यह सिलसिला जारी है। इस्कॉन ने भारत सरकार से मांग की है कि वह बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाले ताकि अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सिलसिला बंद हो।

सियासत (10 दिसंबर) के अनुसार बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार देश में नरसंहार करने की साजिश रच रही है। उनकी पार्टी अवामी लीग के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके घरों को लूटने के बाद उनमें आग लगाई जा रही है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता प्रकट की है। हसीना ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि वह बांग्लादेश में हस्तक्षेप करते हुए वहां पर शांति स्थापित करने के लिए शांति सैनिकों को भेजे।

उर्दू टाइम्स (6 दिसंबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के भाषणों को देश में प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी वकील गुलाम मुनव्वर हुसैन तमीम ने पत्रकारों को बताया कि ट्रिब्यूनल शेख हसीना के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की जांच कर रहा है, इसलिए हमने उनके भाषणों को प्रसारित करने पर पाबंदी लगा दी है। इन भाषणों से गवाहों पर दबाव पड़ सकता है और इससे ट्रिब्यूनल को काम करने में बाधा पैदा हो सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में शेख हसीना ने वीडियो लिंक के जरिए न्यूयॉर्क में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पर नरसंहार करने का आरोप लगाया था। ■

रूस में 12 इस्लामिक आतंकवादी गिरफ्तार

एतेमाद (12 दिसंबर) के अनुसार रूस के दक्षिणी दागिस्तान में हिंसा करने के आरोप में 12 इस्लामिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आतंकवादी रूस के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। बताया जाता है कि संघीय सुरक्षा सेवा के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर दागिस्तान के अनेक नगरों में छापे मारे और 12 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके घरों से एक टन अमोनियम नाइट्रेट, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारुद भी बरामद

किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के अनुसार विदेशी शक्तियों के इशारे पर इस्लामिक आतंकवादी रूस के विभिन्न स्थानों पर सशस्त्र हमले की तैयारी कर रहे थे। गौरतलब है कि इस्लामिक आतंकवादी इस साल रूस के कम-से-कम तीन स्थानों पर हमला करके 200 से अधिक लोगों की हत्या कर चुके हैं। अब तक इस संदर्भ में 100 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनका संबंध प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से बताया जाता है।

चीन द्वारा पाकिस्तान को 29 अरब डॉलर का कर्ज

औरंगाबाद टाइम्स (5 दिसंबर) के अनुसार चीन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश बन गया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को 29 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 तक पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो उसके कुल निर्यात का 352 प्रतिशत और सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) का 39 प्रतिशत है। पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज में से सबसे ज्यादा कर्ज चीन का है, जो कुल विदेशी कर्ज का 22 प्रतिशत है। इसके अलावा पाकिस्तान ने विश्व बैंक से 23 अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है, जो कुल कर्ज का 18 प्रतिशत है। वहीं, पाकिस्तान के कुल कर्ज में एशियाई विकास बैंक का हिस्सा 15 प्रतिशत है। यह कर्ज 19 अरब डॉलर का है। चीन के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्ज देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है। यह कुल विदेशी कर्ज का आठ प्रतिशत है।

एक अन्य समाचार के अनुसार विश्व इस्लामिक बैंकिंग का विस्तार 3700 अरब डॉलर तक हो चुका है। अभी इसमें और भी वृद्धि होने की संभावना है। पाकिस्तानी स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद का कहना है कि इस्लामिक बैंकिंग के विस्तार में अनेक बाधाएं हैं। एक बाधा तो यह

है कि इस्लाम में कर्ज पर ब्याज लेना हराम है, इसलिए इस्लामिक देशों को अन्य देशों के मुकाबले में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस्लाम के अनुसार इस्लामिक कर्ज को उन उद्योगों में निवेश नहीं किया जा सकता है, जिन्हें शरिया में हराम माना जाता है। इनमें शराब और पर्यटन प्रमुख हैं।

इस्लामिक कर्ज के बारे में कराची में आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने संविधान में स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि वह कर्ज पर न तो ब्याज लेगा और न ही देगा। इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था कुरान और रसूल के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। यह जरूरी है कि इस्लामिक देश बिना ब्याज के कर्ज देने की प्रवृत्ति को विकसित करें। उन्होंने कहा कि जब इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था शुरू की गई थी तब उसके सामने अनेक चुनौतियां थीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था सफल रही है। दुबई के शेख इब्राहिम बिन खलीफा ने कहा कि विश्व की इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था में 40 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तानियों का है।

सीरिया में बशर अल–असद के शासन का खात्मा

उर्दू टाइम्स (9 दिसंबर) के अनुसार सीरिया में अल-असद परिवार की 53 साल की तानाशाही का खात्मा हो गया है। विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। सीरिया की सरकारी सेना ने विद्रोहियों का मुकाबला किए बिना उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस घटनाक्रम से ईरान और रूस को जबर्दस्त झटका लगा है, क्योंकि राष्ट्रपति बशर अल-असद की सत्ता इन दोनों देशों की सहायता पर ही टिकी हुई थी।

उर्दू टाइम्स (14 दिसंबर) के अनुसार सीरिया की नई सरकार ने तीन महीने के लिए संविधान और संसद को निलंबित करने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि वह देश में कानून का शासन स्थापित करने हेतु कटिबद्ध है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि संविधान पर पुनर्विचार करने के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी ताकि मानवाधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हेतु संविधान में संशोधन किया जाए। प्रवक्ता ने कहा कि जिन लोगों ने जनता पर जुल्म ढाए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के तहत सख्त सजाएं दी जाएंगी। गौरतलब है कि सीरिया का वर्तमान संविधान 2012 में लागू किया गया था। इस संविधान में इस्लाम को सरकारी धर्म के रूप में घोषित नहीं किया गया था। अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद की तानाशाही के खिलाफ सीरिया के नागरिकों ने जश्न मनाया है और जबरन हुकूमत से मुक्ति मिलने पर मस्जिदों में नमाज अदा की गई है। गौरतलब है कि सीरिया में पिछले 14 सालों से गृहयुद्ध चल रहा था। इस गृहयुद्ध में सात लाख से अधिक लोग मारे गए थे और लगभग डेढ़ करोड़ लोग बेघर हो गए थे।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्लाह द्वितीय से मुलाकात की है और सीरिया को सुरक्षित देश बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बशर अल-असद के शासनकाल में जिन अमेरिकी नागरिकों को लापता कर दिया गया था उनका पता लगाने के लिए सीरिया सरकार को हर तरह का सहयोग दिया जाएगा। ब्लिंकन ने इजरायल द्वारा सीरिया पर हमले के सवाल को टाल दिया। उन्होंने कहा कि अभी सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौती सीरिया में शांति और

स्थिरता स्थापित करने की है। अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में सीरिया को आतंकवादियों के गढ़ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और न ही सीरिया अपने पड़ोसियों के लिए खतरा बनेगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मुलाकात की है और क्षेत्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श किया। इस मुलाकात के बाद तुर्किये के राष्ट्रपति ने कहा कि तुर्किये और अमेरिका के संबंधों को सभी क्षेत्रों में बेहतर बनाने के हमारे प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि तुर्किये सीरिया में सक्रिय सभी आतंकवादी संगठनों जैसे पीकेके, पीवाईडी, वाईपीजी और आईएसआईएस के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगा। एक अन्य समाचार के अनुसार तुर्किये ने दमिश्क में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है।

उर्दू टाइम्स (14 दिसंबर) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने स्पष्ट किया है कि ईरान सीरिया की बशर अल-असद सरकार की हार के लिए जिम्मेवार नहीं है। वहां पर हमारी सेना जितना काम कर सकती थी उतना उसने किया। उन्होंने कहा कि बशर अल-असद की सरकार ने ईरान से कभी सहायता नहीं मांगी। सीरिया की सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने से इंकार कर दिया था और हम लोग बेबस थे। उन्होंने कहा कि ईरान स्पष्ट कर चुका है कि अब सीरिया की जनता अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अली खामेनेई ने यह आरोप लगाया था कि बशर अल-असद सरकार को गिराने में एक पड़ोसी देश का हाथ है। ईरान ने इस संबंध में चार महीने पहले ही सीरिया की सरकार को सूचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि सीरिया में जो कुछ हुआ है वह अमेरिका और इजरायल की संयुक्त योजना का नतीजा है। ईरान के पास ठोस सबूत है कि अमेरिका और इजरायल ने सीरिया में सैन्य क्रांति की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि ईरान पिछले कुछ समय से सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद से खुश नहीं था। अल-असद ने ईरान को यह आश्वासन दिया था कि स्थिति उनकी सेना के नियंत्रण में है, लेकिन उन्होंने यह संकेत नहीं दिया कि उनकी सेना विद्रोहियों के साथ मिल चुकी है।

औरंगाबाद टाइम्स (10 दिसंबर) के अनुसार एचटीएस ने मोहम्मद अल-बशीर को सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की है। उसने सरकारी सेना के लिए आम माफी की भी घोषणा की है।

उर्दू टाइम्स (16 दिसंबर) के अनुसार हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम ने यह स्वीकार किया है कि सीरिया में बशर अल-असद सरकार के खात्मे के कारण ईरान से हमें मिलने वाली सैन्य सहायता की सप्लाई लाइन कट गई है। उसने आरोप लगाया कि इजरायल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया है और अब वह सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। उसने एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल-जुलानी और सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद अल-बशीर से मांग की है कि वे इजरायल से कोई संबंध न रखें। हिजबुल्लाह प्रमुख ने यह आशा व्यक्त की है कि सीरिया के नए शासक भी इजरायल को अपना दुश्मन ही मानेंगे।

नईम कासिम ने कहा कि गाजा में संघर्षशील अरबों का समर्थन करना हर अरब देश और मुसलमानों का दीनी कर्तव्य है।

इसी समाचारपत्र ने एक अन्य समाचार में यह दावा किया है कि दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद बशर अल-असद के रिश्तेदार वहां से भागकर लेबनान पहुंच गए हैं। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा है कि लेबनान में सीरिया के जो शरणार्थी रह रहे हैं वे अपने देश लौट जाएं। उन्होंने कहा कि इस समय लेबनान की कुल जनसंख्या 58 लाख है, जिसमें से 20 लाख सीरियाई शरणार्थी हैं।

सियासत (16 दिसंबर) के अनुसार विद्रोही संगठन एचटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद अल-जुलानी ने आरोप लगाया है कि इजरायल सीरिया पर अपने हमले को सही साबित करने के लिए झूठे बहाने खोज रहा है। उसने कहा कि हम किसी भी नए विवाद में उलझना नहीं चाहते। इस समय हमारा पूरा ध्यान सीरिया के नवनिर्माण में है।

मुंसिफ (14 दिसंबर) के अनुसार सीरिया में विद्रोही संगठन एचटीएस के कब्जे के बाद वहां के लाखों शिया मुसलमान पलायन करके लेबनान पहुंच गए हैं। उन्हें यह भय है कि सुन्नी उन्हें नेस्तनाबूद करने का अभियान चलाएंगे। एक अन्य समाचार के अनुसार विद्रोहियों ने सीरिया की जेलों में बंद हजारों कैदियों को रिहा कर दिया है। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जो पिछले 30-35 सालों से बिना मुकदमे के इन जेलों में बंद थे।

मुंसिफ (10 दिसंबर) के अनुसार रूस ने सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद के परिवार सहित मास्को पहुंचने की पुष्टि कर दी है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी 'टीएएसएस' के अनुसार रूसी सरकार ने बशर अल-असद परिवार को राजनीतिक शरण देने का फैसला किया है। खास बात यह है कि मास्को स्थित सीरियाई दूतावास पर सीरिया की नई सरकार का झंडा लहरा दिया गया है। भारत ने सभी पक्षों से सीरिया की एकता और शांति को बरकरार रखने की अपील की है।

एतेमाद (13 दिसंबर) के अनुसार सीरिया के विद्रोही नेता अबू मोहम्मद अल-जुलानी ने घोषणा की है कि नई सरकार ने सीरिया की सेना को भंग करने का फैसला किया है। उसने कहा कि उसे किसी विदेशी शक्ति का समर्थन प्राप्त नहीं है। सीरियाई जनता ने अपना युद्ध स्वयं लड़ा है। इस दौरान कुछ सशस्त्र लोगों ने अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद के पिता हाफिज अल-असद के मकबरे को आग लगा दी है। विद्रोहियों ने सीरिया पर नियंत्रण करने के बाद देशभर में लगाए गए बशर अल-असद और उनके पिता के पोस्टरों व प्रतिमाओं को हटाना शुरू कर दिया है। एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिकी सेना ने इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले करके उन्हें तबाह कर दिया है। बगदाद में एक अमेरिकी प्रवक्ता ने यह घोषणा की है कि अमेरिका आईएसआईएस को सीरिया में उत्पन्न ताजा स्थिति का लाभ उठाने नहीं देगा और उसे कुचल दिया जाएगा।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार बशर अल-असद अपने सहयोगियों के लिए बोझ बन गए थे, इसलिए किसी ने उनका साथ नहीं दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दमिश्क में अल-असद से अंतिम मुलाकात में स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि ईरानी सरकार इजरायल के साथ लेबनान और गाजा में उलझी हुई है, इसलिए वे उनकी सहायता के लिए अपनी सेना भेजने की स्थिति में नहीं हैं। ईरान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि जिस तरह से सीरियाई सेना ने बिना लड़े विद्रोहियों के सामने हथियार डाल दिए हैं उससे उन्हें बेहद हैरानी हुई है। एक अन्य सूत्र ने यह पुष्टि की है कि तुर्किये विद्रोही संगठन एचटीएस का समर्थन कर रहा था और वह उसे कई प्रकार की सहायता उपलब्ध करवा रहा था। वहीं, रूसी नेताओं ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि रूस असद सरकार की सहायता करने में बेबस है, क्योंकि वह यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है।

इंकलाब (14 दिसंबर) के अनुसार बशर अल-असद के कुख्यात 'टाइगर फोर्स' के एक सदस्य तलाल तक्कक को विद्रोहियों ने फांसी पर लटका दिया है। तलाल ने असद सरकार के विरोधियों को शेरों को खिलाया था। अपदस्थ राष्ट्रपति अल-असद ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए 'टाइगर फोर्स' नामक एक विशेष गुप्तचर संगठन का गठन किया था। इस संगठन में 1500 लोग शामिल थे। इनका काम असद सरकार के विरोधियों को गिरफ्तार करना और उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या करना था। असद के अपदस्थ किए जाने के बाद विद्रोहियों ने सबसे पहले तलाल को गिरफ्तार किया और उन्हें भारी भीड़ के सामने दमिश्क की जामा मस्जिद के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया।

अधिकांश उर्दू अखबारों ने सीरिया की असद सरकार के अपदस्थ किए जाने पर हैरानी प्रकट की है। उर्दू अखबारों ने इस्लामिक विद्रोहियों द्वारा सत्ता पर कब्जा करने का समर्थन किया है।

मुंसिफ (10 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सीरिया में जो क्रांति हुई है वह अरब जगत में स्वागत योग्य परिवर्तनों की शुरुआत है। समाचारपत्र ने हैरानी प्रकट की है कि डेढ़ लाख सीरियाई सैनिक 30 हजार विद्रोही सैनिकों का सामना करने में विफल रहे हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि सीरिया में जो कुछ घटित हुआ है वह अरब जगत के तानाशाहों के लिए गंभीर चुनौती है।

औरंगाबाद टाइम्स (10 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देर सवेर हर तानाशाह का पतन होता है और सीरिया का ताजा घटनाक्रम इसकी पुष्टि करता है। समाचारपत्र ने लिखा है कि 54 साल पहले हाफिज अल-असद ने सेना की सहायता से सीरिया की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उनके निधन के बाद उनके बेटे बशर अल-असद ने भी अपने तानाशाही शासन को जारी रखा। 13 साल पहले मुसलमानों के एक संगठन ने अल-असद की इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था। इस गुट का संबंध इस्लामिक आतंकवादी संगठन अलकायदा से था। बाद में यह

गुट अल-नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाने लगा। इसके कुछ सालों बाद यह गुट हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

समाचारपत्र ने कहा है कि एचटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद अल-जुलानी का असली नाम अहमद हुसैन अल-शरा है। वह 1982 में सऊदी अरब में पैदा हुआ था। उसके पिता सऊदी अरब में पेट्रोलियम इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। 1989 में उसका परिवार सीरिया आ गया। 2003 में अबू मोहम्मद अल-जुलानी इराक चला गया। इसके बाद वह अमेरिका के विरोध में गठित इस्लामिक आतंकवादी संगठन अलकायदा में शामिल हो गया। 2006 में अमेरिकी सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पांच साल जेल में बिताने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद वह कुख्यात इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के प्रमुख अबू बकर अल-बगदादी के संपर्क में आया। बाद में उसने एक प्रतिरोधी संगठन अल-नुसरा फ्रंट का गठन किया।

अल-जुलानी ने 2013 में यह घोषणा की कि अब उसका आईएसआईएस से कोई संबंध नहीं है। हालांकि, अबू बकर अल-बगदादी ने अल-जुलानी के संगठन अल-नुसरा फ्रंट को आईएसआईएस में मिलाने का प्रयास किया, लेकिन अल-जुलानी ने एक बार फिर से अलकायदा के साथ संबंध स्थापित कर लिया। 2016 के अंत में उसने एक नया संगठन हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) का गठन करने की घोषणा की। अल-जुलानी ने कहा कि अब उसका पूरा ध्यान सीरिया में इस्लामिक सरकार की स्थापना पर रहेगा। इसके बाद वह बशर अल-असद के खिलाफ सक्रिय प्रतिरोधी संगठनों को एकजुट करने में सफल रहा। उसका लक्ष्य सीरिया को ईरान की शिया सरकार के चंगुल से मुक्त कराना था, जिसमें वह पूरी तरह से सफल रहा।

अखबार-ए-मशरिक (14 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में सीरिया में बशर अल-असद सरकार की तानशाही के खात्मे का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि सीरिया के विद्रोहियों की सहायता करने वाली सबसे बड़ी शक्ति तुर्किये है। 2011 में जब बशर अल-असद के खिलाफ विद्रोह हुआ तो एर्दोगन ने खुलकर विद्रोहियों का साथ दिया। उन्होंने उन सभी इस्लामिक जिहादियों का समर्थन किया, जो सीरिया में गृहयुद्ध में लगे हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि सीरिया में गृहयुद्ध के कारण लगभग 33 लाख सीरियाई शरणार्थियों को तुर्किये में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। समाचारपत्र ने कहा है कि सीरिया आर्थिक बदहाली का शिकार था। इसके कारण सेना को समय पर वेतन नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने विद्रोहियों का साथ दिया।

समाचारपत्र ने लिखा है कि असद परिवार ने 50 साल से अधिक समय तक सीरिया में शासन किया। भले ही उनमें कई त्रुटियां रही हों, लेकिन वे पूरी तरह से सेक्युलर शासक थे। दिलचस्प बात यह है कि अल-असद जैसे सेक्युलर शासक को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका ने इस्लामिक जिहादियों से गठबंधन

किया। एचटीएस नामक जिस विद्रोही संगठन ने असद सरकार का तख्ता पलटा है उसकी जड़ें अल-नुसरा फ्रंट से मिलती हैं। इस संगठन का अलकायदा से संबंध जगजाहिर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस संगठन ने अमेरिका की सहायता से सीरिया में अल-असद सरकार का तख्ता पलटा है उसके प्रमुख को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित करके उस पर 10 मिलियन डॉलर के इनाम की घोषणा कर रखी थी। विश्व की शक्तियों के सामने कोई सिद्धांत या आदर्श नहीं है। वे अपने हितों को देखते हुए आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करती हैं और मतलब निकलने के बाद उन्हें आतंकवादी घोषित कर देती हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (9 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में बशर अल-असद सरकार के तख्ता पलटने का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि अमेरिका इससे पहले भी मिस्र और लीबिया में इस्लामिक सरकारों का तख्ता पलट चुका है। समाचारपत्र ने लिखा है कि अगर इस्लामिक जगत ने समझदारी से काम नहीं लिया तो सीरिया अनेक भागों में विभाजित हो जाएगा।

कुवैत में तीन हजार व्यक्तियों की नागरिकता खत्म

रोजनामा सहारा (14 दिसंबर) के अनुसार कुवैत सरकार ने तीन हजार से अधिक व्यक्तियों की नागरिकता को खत्म करने की घोषणा की है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार नागरिकता की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी उसने यह निष्कर्ष निकाला है कि इन दोषी व्यक्तियों ने कुवैत की नागरिकता धोखे से प्राप्त की थी। 54 देशों से संबंधित लोगों की नागरिकता खत्म की गई है। इनके पास दोहरी नागरिकता थी। अब यह निर्णय अनुमोदन के लिए मंत्रिपरिषद को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि फर्जी नागरिकता की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी के पास फर्जी नागरिकता की 12 हजार शिकायतें प्राप्त हुई थीं। पिछले साढ़े तीन महीने में कुवैत सरकार इनमें से नौ हजार लोगों की नागरिकता रद्द कर चुकी है।

कुवैत के उप प्रधानमंत्री फहद अल यूसुफ ने कहा कि कुवैती पुरुषों की पत्नियां, तलाकशुदा महिलाएं तथा कुवैत में रहने वाली विधवाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनकी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी और उन्हें पूर्वत: निर्धारित वेतन मिलता रहेगा। बता दें कि कुवैत के कानून में दोहरी नागरिकता रखने पर प्रतिबंध है। कुवैत के गृह मंत्रालय ने दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों या जिन लोगों ने धोखे से कुवैत की नागरिकता प्राप्त की थी उनके बारे में शिकायत करने के लिए एक विशेष हॉटलाइन की व्यवस्था की थी। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि शिकायत करने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जिन लोगों ने धोखे से नागरिकता प्राप्त की है उनके खिलाफ अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा और इसके बाद उन्हें देश से निष्कासित कर दिया जाएगा।

सऊदी अरब का अमेरिका के साथ रक्षा समझौता करने से इंकार

इंकलाब (1 दिसंबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने अमेरिका के साथ रक्षा समझौता करने से इंकार कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी (एसपीए) के अनुसार सऊदी सरकार ने अमेरिका को यह स्पष्ट किया है कि जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं हो जाती तब तक सऊदी अरब अमेरिका से कोई समझौता नहीं करेगा। गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के बाद सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि जब तक इजरायल स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के वजूद को मान्यता नहीं देता तब तक सऊदी अरब इजरायल से सामान्य संबंध स्थापित नहीं करेगा और न ही अमेरिका से किसी तरह का कोई समझौता करेगा।

ब्रिटिश संवाद समिति 'रॉयटर्स' के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सऊदी सरकार के साथ सामान्य संबंध चाहते हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि जब तक सऊदी सरकार इजरायल पर हमास के हमले की निंदा नहीं करती तब तक वे सऊदी अरब के साथ कोई संबंध नहीं बना सकते। जानकार सूत्रों ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत के बाद अमेरिका का रूख सऊदी अरब के साथ और भी कड़ा हो सकता है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौते की मंजूरी के लिए अमेरिकी सीनेट में दो तिहाई का बहुमत जरूरी है। जब तक सऊदी अरब इजरायल को मान्यता नहीं देता तब तक अमेरिकी जनप्रतिनिधियों द्वारा इस तरह के किसी भी समझौते की पुष्टि करने की संभावना न के बराबर है। ■

सूडान में सेना और आरएसएफ की झड़पों में 200 लोगों की मौत

उर्दू टाइम्स (12 दिसंबर) के अनुसार सूडान में पिछले दो दिनों में सेना और उसके विरोधी संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसफ) के बीच हुई झड़पों में कम-से-कम 200 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हो गए हैं। इससे पहले दारफुर प्रांत के कबकाबिया के एक बाजार पर सेना के हवाई हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए थे।

इंकलाब (1 दिसंबर) के अनुसार आरएसएफ ने सूडान के अल-जजीरा राज्य के एक गांव पर हमला किया और एक दर्जन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में लगभग 100 लोग घायल हो गए। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार सूडान में पिछले साल के अप्रैल महीने से लेकर अब तक सरकारी सेना और आरएसएफ के बीच हुई झड़पों में कम-से-कम 30 हजार लोग मारे जा चुके हैं। इन झड़पों के कारण एक करोड़ 40 लाख लोग बेघर हो गए हैं।

इंकलाब (8 दिसंबर) के अनुसार सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप एक मस्जिद पर हुई बमबारी में 70 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। सरकारी सेना ने इस मस्जिद पर तब बमबारी की जब वहां पर नमाज अदा की जा

रही थी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सूडान के गृहयुद्ध के कारण 40 लाख लोगों को सूडान से भागकर पड़ोसी देशों में शरण लेनी पड़ी है। गौरतलब है कि सूडान में 2019 से गृहयुद्ध जारी है। उल्लेखनीय है कि सूडान में मई 1986 से लेकर जून 1989 तक अहमद अल-मिरघानी सत्तारूढ़ थे। 1989 में सूडानी सेना के तत्कालीन प्रमुख उमर अल-बशीर ने विद्रोह करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था। वे 30 सालों तक एक तानाशाह के रूप में सूडान पर शासन करते रहे। इसके बाद उनकी तानाशाही के खिलाफ जनाक्रोश भड़क उठा। सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शनों और हड़तालों के कारण 2019 में सूडान में सैन्य क्रांति हुई और सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने सहयोगी और आरएसएफ के सेनापति जनरल मोहम्मद हमदान डागालो को उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया। बाद में सत्ता पर कब्जे को लेकर इन दोनों दोस्तों में ठन गई। सूडान अब दो भागों में बंट चुका है। दोनों के समर्थक सैनिक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं।

तुर्किये की मध्यस्थता से इथियोपिया और सोमालिया में समझौता

उर्दू टाइम्स (13 दिसंबर) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की है कि उनके प्रयासों से दो अफ्रीकी देशों सोमालिया और इथियोपिया में समझौता हो गया है। यह समझौता तुर्किये की राजधानी अंकारा में हुआ है। यह एक ऐतिहासिक समझौता है, जो अफ्रीका के दो मुस्लिम देशों के बीच के तनाव को खत्म करेगा।

इस संवाददाता सम्मेलन में सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद भी मौजूद थे। इस संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि दोनों देशों के बीच जो मतभेद थे उन्हें आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। सोमालिया इथियोपिया को समुद्र तक सुरक्षा प्रदान करेगा। इथियोपिया के प्रधानमंत्री और सोमालिया के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच के विवादास्पद मामलों को सुलझाने के लिए फरवरी महीने से वार्ता शुरू की जाएगी। यह वार्ता चार महीने तक जारी रहेगी। इस बातचीत का लक्ष्य दोनों देशों के बीच के आपसी मतभेदों को दूर करना है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस बात पर भी सहमत हो गए हैं कि अगर इस बातचीत के दौरान किसी भी मामले को सुलझाने में परेशानी

आती है तो तुर्किये के राष्ट्रपति की मध्यस्थता से उसे दूर किया जाएगा।

गौरतलब है कि इथियोपिया जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। 1993 में इरीट्रिया इथियोपिया से अलग हो गया था। इसके कारण इथियोपिया की समुद्र तक की पहुंच खत्म हो गई थी। अब सोमालिया ने उसे समुद्र तक सुरक्षित मार्ग देने का आश्वासन दिया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत होगी। इथियोपिया ने यह भी आश्वासन दिया है कि सोमालिया में जो गृहयुद्ध चल रहा है उसका समाधान खोजने के लिए इथियोपिया की सरकार सोमालिया की सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

ईरान द्वारा हिजाब के पक्ष में एक नए कानून को मंजूरी

कौमी तंजीम (6 दिसंबर) के अनुसार ईरानी संसद ने हिजाब के पक्ष में एक नए कानून को मंजूरी दे दी है। यह कानून वर्तमान कानून की तुलना में काफी कठोर है। इस कानून के तहत हिजाब न पहनने या हिजाब का विरोध करने वाली महिलाओं को उम्रकैद की सजा दी जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हिजाब कानून का विरोध किया था, लेकिन ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के इशारे पर ईरानी संसद ने इस कठोर कानून को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि जो नया कानून संसद ने पारित किया है उसका प्रारूप ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने तैयार किया था। उल्लेखनीय है कि 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद शरिया को सख्ती से लागू किया गया था और महिलाओं के लिए हिजाब का इस्तेमाल करना अनिवार्य घोषित किया गया था।

सितंबर 2022 में एक कुर्द युवती महसा अमिनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में जो जनाक्रोश भड़का था उसका लाभ उठाकर महिलाओं ने हिजाब पहनना कम कर दिया था। इस कानून में यह भी व्यवस्था है कि अगर कोई महिला हिजाब कानून का उल्लंघन करेगी तो उसका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। इस नए कानून के अनुसार पूरे ईरान में सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि हिजाब न पहनने वाली महिलाओं की पहचान की जा सके। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर अश्लीलता को प्रोत्साहन देने वाला कोई लिबास, मूर्ति या खिलौना बनाया जाता है तो उसके निर्माताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी महिला नेता मरियम मोहम्मदी ने इस नए कानून को महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात बताया है। उन्होंने कहा है कि अब महिलाओं के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं या तो आजादी या फिर मौत।

उर्दू टाइम्स (14 दिसंबर) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस कानून की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मैं इस कानून को लागू करने के लिए तैयार नहीं हूं। गौरतलब है कि इस कानून को जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलती है तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के इस बयान के बाद ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई और पेजेश्कियान के बीच के मतभेदों की पुष्टि होती है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

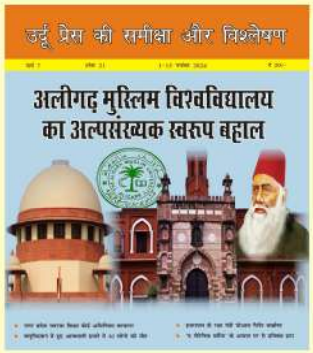

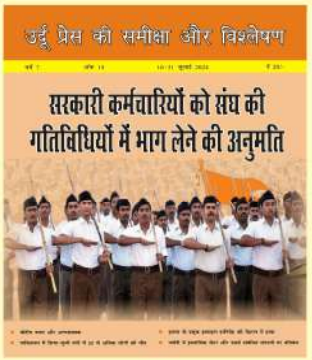

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in